

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 07(08)राज/वाद/22

जयपुर दिनांक 10/02/2025

:: आदेश ::

निदेशालय, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग एवं इसके अधीनस्थ राजकीय अधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर, लोक अभियोजक/विशिष्ट लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजकगण के कार्यालयों में कार्यरत प्रशासनिक अधिकारीगण की दिनांक 01.04.2025 की स्थिति में अन्तरिम वरिष्ठता सूची (Provisional Seniority List) निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:-

क.सं.	कर्मचारी का नाम	जन्म दिनांक	श्रेणी	पदोन्नति वर्ष
1	श्री महेश धवनिया	12.09.1967	अ.जा.	2023-24
2	श्री हरलाल मीणा	04.07.1970	अ.ज.जा.	2023-24
3	श्री सुरेश खत्री	08.10.1965	सामान्य	2023-24
4	श्री भरत लाल शर्मा	01.03.1969	सामान्य	2023-24
5	श्री अरविन्द कुमार शर्मा	01.07.1965	सामान्य	2023-24
6	श्री भुवनेश गुप्ता	20.06.1965	सामान्य	2023-24
7	श्री राजेश कुमार जोशी	20.01.1966	सामान्य	2023-24
8	श्री प्रहलाद दास आसुदानी	25.03.1967	सामान्य	2023-24
9	श्री नरेन्द्र सिंह चौहान	30.06.1966	सामान्य	2023-24
10	श्री रोहिताश्व शाक्य	28.06.1969	सामान्य	2023-24
11	श्री पृथ्वीराज	02.03.1967	ओ.बी.सी	2023-24
12	श्री सुरेश कुमार वर्मा	30.11.1972	अ.जा.	2023-24
13	श्री देवीलाल गोठवाल	15.11.1974	अ.जा.	2023-24
14	श्री धर्मवीर मेघानी	30.06.1970	सामान्य	2024-25 (01.04.2024)
15	श्री दुर्गा प्रसाद पारीक	04.10.1978	सामान्य	2024-25 (01.04.2024)
16	श्रीमती सोनिया मुखीजा	28.02.1981	सामान्य	2024-25 (01.07.2024)
17	श्री धर्मपाल शर्मा	20.08.1968	सामान्य	2024-25 (01.07.2024)
18	श्री लाखी राम	01.07.1969	सामान्य	2024-25 (01.07.2024)
19	श्री कैलाश चन्द मीणा	10.11.1969	अ.ज.जा.	2024-25 (01.11.2024)

- उक्त वरिष्ठता सूची के संबंध में किसी कर्मचारी/अधिकारी को कोई आपत्ति हो तो वह इस सूची के जारी होने की तिथि से 15 दिवस में अपना लिखित अभ्यावेदन/आपत्तियाँ मय आधार के अपने कार्यालय के माध्यम से विभागीय वेबसाईट (secretarylaw@rajasthan.gov.in) पर भी प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि उपरोक्त निर्धारित अवधि तक अभ्यावेदन/आपत्तियाँ प्राप्त नहीं होती हैं तो इसके पश्चात् प्राप्त होने वाले अभ्यावेदन/आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी कर दी जावेगी।

हो
(राजेश गुप्ता)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- निजी सचिव, शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण)।
- संबंधित कार्यालय/संबंधित कार्मिक।
- ए.सी.पी., विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
- रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव, विधि